न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/12593/2004/अलवर</u>

1– श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री चन्दगीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम माछरोली, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर
2– श्रीमती लाली पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री रतनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम माछरोली, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर
3– श्रीमती इन्द्रादेवी पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री धर्मवीर, जाति अहीर, निवासी ग्राम मानजोर, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीनदयाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम भीखावास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

–प्रत्यर्थी

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री राम दयाल मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता प्रत्यार्थी

निर्णय

दिनांकः– 27–02–2024

अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या– 188/2001 बउनवानी वीरेन्द्र बनाम काशीराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट वादी ने सहायक जिला कलक्टर, मुण्डावर के न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 सपठित धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर स्थित खसरा नंबर 20 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 138 रकबा 1 बीघा, 193 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 243 रकबा 14 बिस्वा, 332 रकबा 4 बिस्वा, 337 रकबा 11 बिस्वा, 361 रकबा 4 बिस्वा, 382

रकबा 16 बिस्वा, 402 रकबा 16 बिस्वा, 454 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 483 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, 495 रकबा 01 बीघा 4 बिस्वा, 35 रकबा 9 बिस्वा, 128 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, 247 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, 453 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 32 बीघा एक बिस्वा वाके ग्राम भीखावास है। उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार काशीराम था और उसका कोई लडका ना होने के कारण इसने हस्ब रिवाज बिरदरी वादी को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया व इस बाबत एक गोदनामा दिनांक 28-08-77 को वादी के हक में तहरीर व तकमील कराकर पंजीबद्ध करा लिया। वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या- 1 काशीराम का उक्त दान पत्र के पश्चात् भूमि विवादग्रस्त पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा परन्तु फिर भी उसने बदनियती से उक्त गोदनामे व दानपत्र को निरस्त कराने हेतु एक दीवानी दावा अपर जिला न्यायाधीश किशनगढ़बास के समक्ष दायर किया परन्तु उक्त व्यवहार न्यायालय ने काशीराम का दावा डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध वादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 62/92 विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या- 1 ने उक्त डिक्री की क्रियान्विति में अवैध रूप से अपने - आपको भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक दर्ज करा लिया । प्रतिवादी संख्या- 1 की कब्जा पुनः प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है इसलिये उसके अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की वजह से समाप्त हो गये और वादी भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक हो गया इसलिये वादी को भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक घोषित फरमाया जावे और प्रतिवादी संख्या-1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने वादी की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपीबद्ध करने के उपरांत एकतरफा बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12-06-2001 से वादी का वाद निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध वादी ने भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26-06-2004 से विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री का निरस्त कर वादी को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित कर दावा डिक्री कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की है।

3- विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी रेस्पोंडेंट ने सहायक कलक्टर, मुंडावर के यहां कब्जे के आधार पर व गोदनामें और गिफ्ट डीड के आधार पर दावा पेश किया जो वादी का एकपक्षीय दावा ही गुणावगुण पर दिनांक 12-06-2001 को खारिज किया गया। उस

आदेश के विरुद्ध वादी ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां पेश की जो अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुने बिना ही एकपक्षीय रूप से ही वाद डिक्री कर दिया। वादी ने काशीराम का दत्तक पुत्र बनते हुए दावा किया था जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डिड और गोदनामें के आधार पर दावा किया था, लेकिन काशीराम ने दीवानी न्यायालय में गोदनामा दिनांक 28-07-1977 और गिफ्ट डीड दिनांक 20-06-1977 को निरस्त करने के लिए दावा किया जो डिक्री हो गया। प्रकरण संख्या 62/1992 माननीय उच्च न्यायालय में अपील हुई वह भी खारिज हो गई और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया और वहां से भी वादी की अपील खारिज हो गई और प्रतिवादी काशीराम का दावा डिक्री हुआ अर्थात् दोनों दस्तावेजों को अपास्त कर दिया। वादी ने केवल कब्जे के आधार पर घोषणा चाही लेकिन एडवर्स पोजीशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है और विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आधार लेते हुए दावा डिक्री किया है लेकिन जब सक्षम न्यायालय द्वारा गोदनामा और गिफ्ट डीड दोनों निरस्त कर दिए तो धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त किया जाए।

5- विद्धान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट कि ओर से तर्क किया गया है कि काशीराम विवादित आराजी का खातेदार था और उन्होंने वादी वीरेंद्र को गोद लिया और गिफ्ट डीड भी उसके पक्ष में लिखी गई राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काशीराम के अधिकार समाप्त हो गए और सिविल वाद में भी कब्जा वादी का ही माना है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति सरकार में निहित होकर वापस प्रतिवादी काशीराम को नहीं मिलती और वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नहीं है बल्कि विधिक कब्जे के आधार पर काबिज है जब एक बार किसी भी खातेदार के अधिकार धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो जाते हैं तो वापस उसे वह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। काशीराम ने बदनियति से कार्यवाही की है और खुद दस्तावेजो को चुनौती भी नहीं दे सकता। वादी का अधिकार है और इसलिए वाद डिक्री किया गया है। अतः अपील खारिज की जाए।

6- उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7- 1. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिविरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है ?

2. क्या गोदनामा और गिफ्ट डीड के आधार पर प्राप्त किये गये कब्जे को वादी का लीगल कब्जा माना जा सकता है ?

8– प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी वीरेंद्र ने दतक पुत्र बताते हुए प्रतिवादी काशीराम के विरुद्ध दावा 88, 89, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विवादित आराजी के स्वयं को खातेदार घोषित करने के लिए और प्रतिवादीगण को जारिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने के लिए कि वह वादी के कब्जे में मजामहत नहीं करें वह मुंतकिल नहीं करें और बाद विचारण वादी का यह वाद सिद्ध नहीं होने पर दिनांक 12–06–2001 को एकपक्षीय खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी वीरेंद्र ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर के यहां अपील प्रस्तुत की जो अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी विभिन्न खसरा नंबरान कुल किता 16 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा ग्राम भीखावास तहसील मुंडावर जिला अलवर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया और राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करने के आदेश दिए गए।

9– इन्हीं वाद कार्यवाही के समांतर ही काशीराम ने वीरेंद्र के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किशनगढ़बास के यहां दावा पेश किया और और उक्त दावा गिफ्ट डीड दिनांक 20–06–1977 और गोदनामा दिनांक 28–08–1977 को निरस्त करने हेतु पेश किया जो वाद दिनांक 28–02–1992 को डिक्री किया गया इस निर्णय डिक्री दिनांक 20–08–1992 के विरुद्ध मौजूद वादी वीरेंद्र सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और उक्त अपील एसबी सिविल फर्स्ट अपील 62/1992 का निर्णय दिनांक 06–04–2004 को किया गया और वादी वीरेंद्र सिंह की अपील मय खर्चा खारिज की गई। इस आदेश के विरुद्ध वादी वीरेंद्र सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील सिविल नंबर 9130/2004 पेश की जो अपील एडमिशन स्तर पर ही दिनांक 07–05–2004 को खारिज की गई। इस प्रकार वादी के पक्ष में बताए गए दस्तावेज गोदनामा और गिफ्ट डीड को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है और उक्त निर्णय अंतिम भी हो चुका है और वादी काशीराम का ना तो दतक पुत्र है नाही उसे संपति गिफट में प्राप्त हुई है।

10– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता यह विधि की व्यवस्था है। अब न्यायालय को मात्र यह देखना है की धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत क्या वादी को विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

11– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त वादी का सन् 1970 से लगातार चला आ रहा है और कब्जा काश्त की ताइद प्रतिवादी स्वयं ने

अपने बयानों में की है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी वादी का कब्जा माना है और कब्जा प्राप्ति का दावा भी प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाता है लेकिन उक्त चारों ही बिंदु तथ्यों के विपरीत है यदि वादी दत्तक पुत्र के आधार पर आता है और पिता जिंदा है तो कब्जा अकेले का नहीं माना जा सकता और संयुक्त रूप से पिता–पुत्र साथ रहते हैं तो वादी का कब्जा नहीं माना जा सकता और जहां तक गोदनामें का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पूर्णतया विधिविरुद्ध है। जब वादी का दस्तावेजों में स्वामित्व ही नहीं है तो उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जहां तक धारा 63(4) का आधार लेकर वादी का वाद डिक्री किया है वह भी तथ्यों के विपरीत है धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि–

अभिधृतिया कब निर्वापित हो जायेंगी– (1) कभी अभिधारी का, अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग में का हित, यथास्थिति, तब निर्वापित हो जायेगा–

(i)

(ii)

(iii)

(iv) जब उसे कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और उसका कब्जा फिर से प्राप्त करने का अधिकार परिसीमा से वर्जित हो जाये।

12– मौजूदा प्रकरण में यहां कब्जे की परिसीमा का प्रश्न ही नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र विधि विरुद्ध तथ्यों के विरुद्ध यह निष्कर्ष पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत है अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

13– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 12593/2004 बउनवानी शांतिदेवी वगै0 बनाम वीरेन्द्र सिंह स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या– 188/2001 बउनवानी वीरेन्द्र बनाम काशीराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2004 अपास्त की जाती है एवं उपखंड अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 12–06–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य